



राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

2644

क्रमांक एफ 2(32)परावि/प्रशा.1/आर.आर.डी.एस-2012/संस्थापन/2015/

जयपुर दिनांक:- 18/12/15

—:आदेश:—

सुश्री आरती गुप्ता, चयनित अभ्यर्थी राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा द्वारा निवेदन किया जाना पर विभागीय आदेश क्रमांक 2487 दिनांक 26.11.2015 द्वारा इनको उक्त सेवा में कार्यग्रहण करने हेतु 4 माह का का Extension दिया गया था। परन्तु इनके द्वारा दिनांक 30.11.2015 को उक्त सेवा में कार्यग्रहण कर लिया जाने के कारण उक्त Extension निरस्त किया जाता है।

(गिरीश पराशर)

शासन उप सचिव (प्रशा-1)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
2. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम) विभाग, राजस्थान, जयपुर को सूचनार्थ।
6. अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं पदेन महानिदेशक, हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, राजस्थान, जयपुर।
7. महानिदेशक, इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, राजस्थान, जयपुर।
8. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-4/II) विभाग को सूचनार्थ।
9. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. निदेशक, पेंशन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
12. निबन्धक, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
13. सम्बन्धित अधिकारी।
14. ए.सी.पी. कम्प्यूटर सैल को उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
15. आदेश पत्रावली/निजी पत्रावली।

(गिरीश पराशर)

शासन उप सचिव (प्रशा-1)